

उत्तर प्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3
संख्या- 1817 /60-3-15-18 सा./15
लखनऊ: दिनांक: 16 नवम्बर, 2015

शुद्धि-पत्र

शासनादेश संख्या-1130/60-3-2015, दिनांक 11.09.2015 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष से किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ में पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी के अन्तर्गत 25 शैयाओं की बर्न एवं रि-कन्सट्रक्टिव सर्जरी यूनिट की स्थापना हेतु रू0 745.41 (रूपये सात करोड़ पैतालिस लाख इकतालिस हजार मात्र) धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2-(2) में "स्वीकृत की जा रही धनराशि को महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध कराया जायेगा" अंकित है, के स्थान पर "स्वीकृत की जा रही धनराशि को कुलपति, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ को उपलब्ध कराया जायेगा " पढ़ा जाये।

3. उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

नन्दलाल प्रसाद
उप सचिव।

संख्या-1817 (1)/60-3-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, महिला कल्याण/विहित प्राधिकारी, उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष, लखनऊ।
2. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. कुलपति, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
7. कोष कार्यालय, चतुर्थ तल, योजना भवन, लखनऊ।
8. कम्प्यूटर सेल, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट/ कोष वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नन्दलाल प्रसाद)
उप सचिव।